

संदर्भ: PGCIL/R/E/20/00522

दिनांक: 01.02.2021

सेवा में,
श्री अशोक कुमार
फ्लैट संख्या A-33 फर्स्ट फ्लोर,
पार्श्वनाथ सिटी, फैजाबाद रोड,
टाइम्स ऑफ़ इण्डिया कार्यालय के नज़दीक
तिवारीगंज, लखनऊ -226028
मो० 8299 500 936

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आपके ऑनलाइन पत्र दिनांक 09.12.2020 के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत भेजा गया ऑनलाइन पत्र दिनांक 09.12.2020 को प्राप्त हुआ। इस सन्दर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि सतर्कता विभाग उत्तरी क्षेत्र -1 से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चूँकि 800 के०वी० चाम्पा-कुरुक्षेत्र के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त फसल में दिए गए मुआवज़े की विभागीय कार्यवाही अभी भी प्रगति पर है।

अतः मांगी गई जानकारी के प्रकटन में, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-8 (1)(h) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,



राणा प्रताप
महाप्रबंधक (पी०ई०एस०एम०)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
पावरग्रिड, लखनऊ